भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1161

जिसका उत्तर 31 जुलाई, 2023 को दिया जाना है

किसानों को मुआवजा

1161. श्री खीरू महतो:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टाटा स्टील के पश्चिमी बोकारो खंड ने झारखंड के रामगढ़ जिले के केदला गाँव में कोयला खान भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत 201 एकड़ भूमि अधिग्रहण की है;

(ख) यदि हां, तो क्या जिन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों की भूमि टाटा स्टील के पश्चिमी बोकारो खंड द्वारा ली गई है, उनको आजतक उसका मुआवजा नहीं दिया गया है;

(ग) क्या संसद द्वारा पारित भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत इन किसानों को मुआवजे के तौर पर वर्तमान बाजार दर से चार गुना भुगतान जारी किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (घ) : टिस्को के खनन पट्टे 21-11-1945 को प्रारंभिक रुप से तत्कालीन जमींदार द्वारा 999 वर्षों की अवधि के लिए मैसर्स बोकारो और रामगढ़ लिमिटेड के पक्ष में प्रदान किए गए थे। बाद में इसे मैसर्स टिस्को के लिए बिहार में मैसर्स वेस्ट बोकारो कोलियरी को उप-पट्टे पर दे दिया गया। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अधिनियम, 1976 के अधिनियमन से पहले 1973 में बिहार सरकार द्वारा इस पट्टे को मान्यता दी गई थी। केन्द्र सरकार टाटा स्टील के भूमि अधिग्रहण मामलों से संबंधित सूचना नहीं रखती है।

****